

मध्यप्रदेश शासन विमानन विभाग

भोपाल दिनांक: 11 अक्टूबर 1990

ब्रमांक एफ.1-29-83-पैतालीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश विमानन (अराजपत्रित) सेवा भरती तथा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नालिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

भाग-एक सामान्य

1. संक्षिप्त नाम :-

इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश विमानन (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1990" है.

2. परिभाषाएं:-इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी"— में अभिप्रेत है विमानन संचालक
- (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा चयनबोर्ड;
- (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भरती के लिये आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा;
- (ग) 1. "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक".
- (घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ भरती के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।
- (च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है

(छ) सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विमानन " अराजपत्रित" सेवा ।

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति-**

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन-**

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-

1. वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची- एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलरूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों
2. वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गए हों और
3. वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भरती किये जाएं ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि-**

सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची -एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे:

परन्तु सरकार समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी अथवा अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भरती का तरीका:-**

1. इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी अर्थात:-
 - (क) प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार से चयन के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा;
 - (ख) अनुसूची- चार के कालम - (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवा में, ऐसे पद जैसा इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए मूल हैसियत में धारण करते हों ।
2. उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किये गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची- एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के उस अनुसूची में दर्शाये गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक न होगी ।
3. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित है, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका/तरीके और प्रत्येक तरीके से भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।
4. उप नियम (1) अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह (प्रशासकीय विभाग के माध्यम

स) सरकार के अनुमोदन के पश्चात् तथा सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट की गयी सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे तरीकों को अपना सकेगा, जिन्हें वह इस सम्बन्ध में जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करें ।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें—**

चयन किए जाने के पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात:—

- (एक) आयु (क) उसने परीक्षा/चयन के प्रारम्भ की तारीख की आगामी जनवरी के प्रथम दिन की अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जाएगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हो तो कर्मचारी रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्य कर रह कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।
- (तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की 7 वर्ष की अधिकतम सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बर्षर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण 3.— “षब्द” छटनी किए गये सरकारी कर्मचारी से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटन इकाईयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा बर्षर्त कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण 3.— षब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकारी के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर सेवा करता रहा था और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय अपना रजिस्ट्रेशन कराने या सरकारी सेवा नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई थी या जिसे अधिनिषेध घोषित कर दिया था ।

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो मस्टरिंग आउट कन्सेप्शन के अधीन नियुक्त किए गये हों,
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो, और जिन्हें :-
- (क) अल्पावधि बचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर,
- (ख) भर्ती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो.
- (तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी.
- (चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीषन अधिकारी भी आते हैं (जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो),
- (पाँच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो,
- (छ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं,
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लगने, घाव आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो ।

- (घ) विधवा अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी ।
- (ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन उन अभ्यर्थियों को जो ग्रीन कार्ड धारक हो, अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम दो वर्ष की छूट दी जायेगी ।
- (च) आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ग पति/पत्नी की दशा में अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।
- (छ) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

टीप:- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपखण्ड (ग), (एक) और (दो) में उल्लेखित आयु सीमा में रियायतों के अधीन परीक्षा । चयन में प्रवेश दिया है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे, यदि वे आवेदन

पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात परीक्षा/चयन होने के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाए विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी ।

- (दो) शैक्षणिक अर्हताएं-अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये जो अनुसूची तीन के कालम (5) में दर्शाई गई हैं:

परन्तु—

- (क) बोर्ड, आपवादिक मामले में, संचालक की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसमें किसी अन्य विष्वविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण बोर्ड की राय में उस अभ्यर्थी को परीक्षा, में प्रवेश देना/चयन के लिये विचार किया जाना न्यायोचित हो, और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों को भी, जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विष्वविद्यालयों से उपाधियों प्राप्त की हो जो सरकार द्वारा विषिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय न हो, बोर्ड के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा ।
- (तीन) फीस-अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा
9. निरर्हता-अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न, बोर्ड द्वारा चयन के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा ।
10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में बोर्ड का विनिष्चय अंतिम होगा- परीक्षा में प्रवेश/चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में बोर्ड का विनिष्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसे बोर्ड द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया गया हो ।
11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती-**
- (1) सेवा में सीधी भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से आयोजित की जाएगी जैसे नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर बोर्ड से परामर्श करके अवधारित करें ।
- (2) परीक्षा बोर्ड द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार, जिन्हे नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर बोर्ड से परामर्श करके जारी करें, संचालित की जाएगी ।
- (3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिषत, 20 प्रतिषत तथा 14 प्रतिषत रिक्तियाँ उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएँगी, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं ।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हो, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में

विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका आपेक्षित क्रम कुछ भी क्यों न हो ।

- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें, बोर्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाए, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए उपनियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियों केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिये दो बार पुनः विज्ञापित की जाएंगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात भी कोई रिक्तियां बिना भरी हुई रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी और पश्चातवर्ती परीक्षा/चयन के दौरान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी, परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रणीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

12. चयन द्वारा सीधी भरती –

- (1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसे कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर बोर्ड से परामर्श करके अवधारित करें ।
- (2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड द्वारा उसने साक्षात्कार करने के पश्चात किया जाएगा ।
- (3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत रिक्तियों उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं ।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हो, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम नियम 13 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका आपेक्षित क्रम कुछ भी क्यों न हो ।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें, बोर्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाए, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए उपनियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियों केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिये दो बार पुनः विज्ञापित की जाएंगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात भी कोई रिक्तियां बिना भरी हुई रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी

और पञ्चातवर्ती परीक्षा/चयन के दौरान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रणीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) विज्ञप्ति की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिषत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

13. बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची—

- (1) बोर्ड अपने द्वारा अवधारित किये गये मानकों के अनुसार अर्हित अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में बनाई गई सूची और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्हित नहीं है, किन्तु जिन्हे बोर्ड द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित भी की जाएगी ।
- (2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हैं ।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जान से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

14. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति—

- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे ।
- (2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी ।
- (3) ऐसे पदों में जिनमें, अनुसूची-दो में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति की प्रतिषतता 33-1/3 प्रतिषत या उससे अधिक हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 16 प्रतिषत तथा 20 प्रतिषत रिक्तियां अनुसूचित जाजियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जो नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हों ।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिये प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी ।

15. पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें—

- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि अनुसूची-चार के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति की जाना है, कम से कम उतने वर्षों

की सेवा (चाहे स्थानापत्र रूप से हो या मूल रूप में) पूरी कर ली ही तथा जो उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारणीय क्षेत्र के भीतर आते हो:

परन्तु आपातकालीन कमीषन तथा अल्पकालिक सेवा कमीषन के निर्मुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की संगणना सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जाएगी जिसे तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2266/1987-1 (3)-67 दिनांक 21 अक्टूबर, 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा गया हो:

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान्ता देकर प्रवर श्रेणी/पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जायेगा कि उसने विहित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली है ।

- (2) चयन का क्षेत्र सामान्यतः “योग्यता तथा वरिष्ठता” (मेरिट कम सीनियरिटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सात गुणे तक और “वरिष्ठता तथा योग्यता” के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पाँच गुना तक सीमित होगा:

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित किये गये क्षेत्र में, उपयुक्त कर्मचारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो उस क्षेत्र की उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा, जिस सीमा तक समिति द्वारा उसके लिये लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझा जावे.

16. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना—

- (1) समिति में ऐसे व्यक्तियों की जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए पृथक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 15 में विहित षर्तें पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो । यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाले प्रत्याषित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । उक्त सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक और अपेक्षित सूची भी पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जाएगी ।
- (2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए भी दृष्टि से योग्यता तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा ।
- (3) ऐसी सूची तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम अनुसूची-चार के कालम (2) में तथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों पर वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ कर्मचारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण— ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वत्तर

चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों से उपर जिन पर पञ्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं रहेगा ।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा ।
- (5) यदि इस प्रकार के चयन पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित किया जाना प्रस्तावित किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी ।

17. चयन सूची पर नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया—

नियम-16 के अनुसार तैयार की गई सूची समिति द्वारा निम्नालिखित के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी:—

- (1) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख ।
- (2) अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे समस्त सदस्यों के अभिलेख, जिनको सूची में की गई सिफारिशों के अनुसार अतिष्ठित किया जाना प्रस्तावित हो अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिकमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण ।

18. चयन सूची—

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर विचार करेगा और जब तक उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न हो, सूची को अनुमोदित करेगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी समिति को देगा और समिति की टिप्पणी पर यदि कोई हो, विचार करने के पञ्चात वह ऐसे उपान्तरणों यदि कोई हो के साथ जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा ।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची-चार के कॉलम- 2 में उल्लेखित पद से उक्त अनुसूची के कॉलम- 3 में उल्लेखित पद पर पदोन्नत करने के लिये चयन सूची होगी ।
- (4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष तक या तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक के नियम 16 के उप नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार करने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी ।
- (5) परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से उसके आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर चूक होने की दशा में चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर किय जा सकेगा और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे तो चयन सूची में से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी ।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति—

- (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम से ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में हो:

परन्तु जहाँ प्रषानिक अत्यावष्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहाँ ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जो चयन सूची में अगले क्रम में न हो; सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि रिक्ति में तीन मास से अधिक समय तक लागू रहने की संभावना नहीं है ।

- (2) ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्ष करना सामान्यतः तक तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा उस सेवा में उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिसे कारण वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो ।

20. परिवीक्षा :-

सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को प्रथमतः दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा ।

21. निर्वचन—

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न अद्भुत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

22. छूट—

इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हो, ऐसी रीति में कार्यवाही करने की, जो उसे न्यायसंगत और साभ्यापूर्ण प्रतीत होती हो, राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति से निपटाया नहीं जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. व्यावृत्ति—

इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

24. **निरसन तथा व्यावृत्ति—**

इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गए किसी आदेश या की गई कोई कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण भटनागर, सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम –5 देखिए)

क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
विमानन यांत्रिकी सेवा				
1	सीनियर मैकेनिक	3	तृतीय श्रेणी (अलिपिकीय)	रू. 1400-40-1440-50-2340
2	रेडियो मेकेनिक	1	---तदैव---	---तदैव---
3	इलेक्ट्रीशियन	1	---तदैव---	---तदैव---
लिपिकीय सेवा				
1	क्लिष्ट लेखाधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक पद)	रू. 1600-50-2300-60-2720
2	मुख्य लिपिक(हेड क्लार्क)	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	रू. 1320-40-1440-50-2040
3	उच्च श्रेणी लिपिक	3	---तदैव---	रू. 1150-30-1210-40-1450-50-1800
4	स्टोर कीपर	1	---तदैव---	रू. 1200-40-1440-50-2040
5	स्टेनोग्राफर	1	---तदैव---	रू. 1400-40-1440-50-2340-60-2640
6	निम्न श्रेणी	5	---तदैव---	रू.

	लिपिक / टायपिस्ट / सहायक स्टोर कीपर / फ्लाइंट-क्लर्क			950-25-1000-30-1210-40-1530
7	स्टेनो-टायपिस्ट	3	---तदैव---	रू. 950-25-1000-30-1210-40-1530 + रू. 75/- प्रतिमाह विशेष वेतन

अनुसूची दो

(नियम-6 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत एवं पद संख्या		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा	टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
1	2	3	4	5	6	7
विमानन संचालनालय मध्यप्रदेश	विमानन यांत्रिकी सेवा					
	(1) सीनियर मैकेनिक	3	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत (एक पद)	—	
	(2) रेडियो मैकेनिक	1	100 प्रतिशत	—	—	
	(3) इलेक्ट्रीशियन	1	100 प्रतिशत (एक पद)	—	—	

	लिपिकीय सेवा
--	--------------

	(1) कनिष्ठ लेखाधिकारी (कार्यपालिक)	1	—	—	100 प्रतिषत संचालनालय कोष एसं लेखा से प्रति नियुक्ति पर	
	(2) मुख्य लिपिक	1	—	100 प्रतिषत	—	
	(3) उच्च श्रेणी लिपिक	2	—	100 प्रतिषत	—	
	(4) स्टोर कीपर	1	—	100 प्रतिषत	—	
	(5) स्टेनोग्राफर	1	---	100 प्रतिषत	—	
	(6) निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट/ सहायक स्टोर कीपर/ फलाईट-क्लर्क	5	85 प्रतिषत	15 प्रतिषत	उन विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये, जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/ हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो, तथा जिन्होंने पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो	
	स्टेनो-टायपिस्ट	3	100 प्रतिषत	—	—	

अनुसूची – तीन

(नियम-8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
विमानन संचालनालय	संधारण संवर्ग				
	1. सीनियर मैकेनिक	21 वर्ष	35 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।	
	2. रेडियो मैकेनिक	21 वर्ष	35 वर्ष	पद से सम्बद्ध विषय में उत्तीर्ण होने का किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण-पत्र होना चाहिये ।	
	3. इलेक्ट्रीशियन	21 वर्ष	35 वर्ष	विभिन्न प्रकार के विमानों पर कम से कम दस वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।	
	लिपिकीय संवर्ग				
	1. मुख्य लिपिक(हेड क्लर्क)	21 वर्ष	35 वर्ष	उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये । माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।	

	2. उच्च श्रेणी लिपिक	21 वर्ष	35 वर्ष	निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट/ सहायक स्टोर कीपर/ फलाईट-क्लर्क के पद 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये । माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/ हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।	
	3. स्टेनोग्राफर	18 वर्ष	30 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/ हायर सैकण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा मंडल या मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से हिन्दी/ अंग्रेजी शीघ्रलेखन की भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।	
	4. निम्न श्रेणी लिपिक/ टायपिस्ट/ सहायक स्टोर कीपर/ फलाईट-क्लर्क	18 वर्ष	30 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/ हायर सैकण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा मंडल या मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन की भी परीक्षा उत्तीर्ण होना	

				चाहिये ।	
	5. स्टेनो-टाइपि स्ट	18 वर्ष	30 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से (10+2) शिक्षा पद्धति के अधीन हाईस्कूल/हायर सैकण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा मंडल या मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये और हिन्दी शीघ्रलेखन में ज्ञान के साथ-साथ 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए ।	

अनुसूची – चार

(नियम -13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिस से पदोन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	कॉलम क्रमांक-2 में दर्शाये गये पद पर सेवा	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
--------------	--	--	---	--

1	2	3	की अवधि	4	5
विमानन विभाग	1. जूनियर मैकेनिक	सीनियर मैकेनिक	5 वर्ष	1. चीफ इंजीनियर-अध्यक्ष 2. डिप्टी चीफ इंजीनियर-सदस्य रेडियो इंजीनियर-सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी-सदस्य	
	2. उच्च श्रेणी लिपिक	मुख्य लिपिक (हैड क्लर्क)	5 वर्ष	---तदैव---	
	3. निम्न श्रेणी लिपिक / टायपि स्ट / सहायक स्टोर कीपर / फलाईट -क्लर्क सहायक स्टोर कीपर	उच्च श्रेणी लिपिक	5 वर्ष	---तदैव---	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर0एस0 विष्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 1995

द्र. एफ 1-12-94-पैतालीस-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1-12-94-पैतालीस, दिनांक 25 नवम्बर 1995 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर0एस0 विष्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 11th October 1990

No. F-1-29/83-XLV.— In exercise of the powers-coffered by the provision to articles 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of the Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted Service namely:—

1. Short title — These rules may be called the "Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted Recruitment Rules, 1990".

2. Definition — In these rules, unless the context otherwise requires;—

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Aviation;
- (b) "Board" means the Madhya Pradesh Junior Service Selection Board;
- (c) "Examination" means competitive Examination of recruitment to the Service to be held under Rule 11 of these rules;
- (d) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
- (e) "Schedule Caste" means any caste race or tribe or part of or group within a caste race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India.
- (f) "Schedule Tribes" means any time or part of group within a caste or tribe specified as Schedule. Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the constitution of India.
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Aviation (Non-Gazetted Service).

3. Scope and Application.— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service General Conditions of Service Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.— The Service shall consist of the following persons namely;—

- (1) Persons who, at the time of commencement of these rules, are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service accordance with the provision of these rules.

5. Classification, Scale or Pay etc.— The classification and the number of posts included in the service and the scale of any attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Methods of recruitment.—(1) Recruitment to service after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by selection by competitive examination or interview ;
- (b) by promotion of the members of the service as specified column (2) of Schedule-IV ;
- (c) by transfer of person who hold in a sub-stative capacity such posts in such service as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not any time, exceed the percentage shown in schedule-II of the number of duty posts as specified in schedule-I.

(3) Subject of the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each methods, shall be detrmined on each occasion by the appointing Authority in consultations with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the Service so require, it may (through the Administrative Department) after approval of the Government and with the prior concurrence of the General Administrative Department adopt such methods of recruitment to be service other than those specified in the said sub-rule as it may, be order issued in this behalf, prescribe.

7. Appointment to the Service.— All appointments for the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions or eligibility for direct recruitment— In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions namely:—

(1) Age : (a) He must have attained the age as specified in column (3) or Schedule -III and not obtained the age specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination selection.

(b) The upper age limit shall be relaxed upto a minimum of 5 years if a candidate belongs to Schedule Caste or a Schedule Tribe ;

(c) The upper age limit shall also be relaxed in respect of candidates who are or have been employees in the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the condition specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age;

- (ii) A candidate who is temporary Government Servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in project implementing committees :
- (iii) A candidate who is retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation. – The term "Retrenched Government servants" denotes a persons who was in temporary Government service of the state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged, because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service :

- (iv) A candidate who is an Ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age, does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation. – The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who retrenched surplus as a result of the recommendation of the economic unit or due to normal reduction in the Establishment, not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service: –

- (i) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on released under mustering and concessions ;
- (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on: –
 - (a) Completion of short term engagement.
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment.
- (iii) Ex-personnel of Madras Civil Units ;
- (iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (v) Officers discharge after working for more than six months continuously against leave vacancies.
- (vi) Ex-servicemen invalidated out of service;
- (vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

- (viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc;
- (d) The upper age limit for widow candidates shall be 35 years;
 - (e) The upper age limit shall be relaxed upto a maximum of 2 years for those candidates who are holding green cards under the Family planning welfare Programme :
 - (f) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage incentive programme of the Tribal, Harijan and Backward classes Welfare Department;
 - (g) The upper age limit shall also be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holders candidate :

Note.—Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (c) (i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They shall however, contribute to be eligible if they are retrenched from the service of post after submitting the application.

Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(II) Educational qualifications.— The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule III.

Provided that;—

- (a) In exceptional cases, the Board may on the recommendation of the Director, treat as qualified a candidate, who, though not possessing any of the qualification prescribed in this clause, has passed the examination conducted by other Universities/Institutions by a standard, which in the opinion of the Board justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination/selection; and
- (b) Candidate who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the Examination at the discretion of the Board.

(III) Fees.— The candidate must pay the fees prescribed by the Appointing Authority/Board.

9. Disqualifications.—Any attempts on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Board to disqualifications to the selection.

10. Board's decision about the eligibility of candidate shall be final:— The decision of the Board as to the eligibility or otherwise of the candidate for admission to examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate or admission has not been issued shall be allowed to appear in examination/interview.

11. Direct Recruitment by Competitive examinations.— (1) A competitive examination for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Board, from time to time, determine.

(2)The examination shall be conducted by the Board in accordance with such orders as the Appointing Authority may from time to time issue in consultation with the Board.

(3)16 percent and 20 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidate who are members of the Schedule Castes and Schedule Tribes respectively.

(4)In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Schedule Caste and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5)Candidates belonging to the Schedule Castes of Scheduled Tribes recommended by the Board for appointment to the service, with due regard to maintenance of the efficiency of Administration may appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Schedule Castes of the Schedule Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6)If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the Vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates , if even after re-advertisement any vacancies remain unfilled they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Schedule Castes and Scheduled Tribes as the case may be, during the subsequent examination/selection :

Provided that the total number of vacancies reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies

carried forward) shall not at any time exceed 45 percent of the total vacancies advertise.

12. Direct recruitment by selection. – (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Board from time to time determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Board after interviewing them.

(3) 16 percent and 20 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, selected by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be under sub rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates, if even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent a selection :

Provided that the total number of vacancies re-served for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed 45 percent of the total vacancies advertised.

13. List of candidates recommended by the Board. – (1) The Board shall forward to the Appointing Authority list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards determined by the Board and of the candidates belonging to the scheduled Castes and scheduled Tribes, who though not

qualified by that standard yet are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

14. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a Departmental Promotion Committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily one year.

(3) 16 percent and 20 per cent of the vacancies available for promotion in which the percentage of promotion in or more as specified in Schedule II, shall be reserved for the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 15.

(4) Procedure for making promotion to the vacancies reserved shall be in accordance with instruction issued by the government in the the General Administration Department from time to time.

15. Conditions for eligibility by for promotion/transfer.— (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall considers the case of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed not less than such number of year of service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Provided that the service of the released officers of the Emergency Commission and Short Service Commission, after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been

appointed in the service in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266/1987/1(3)/67, dated the 21st October 1987.

Provided further that any junior person shall not be considered for selection-grade/promotion in preference to the person senior to him only on the basis of this completing the prescribed service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list, in respect of post to be filled on the basis of merit-cum-seniority and five times the number of officers to be included in the select list in respect of posts filled on the basis of seniority-cum-merit :

Provided that if the required number of suitable employees are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reason in writing.

16. Preparation of list of suitable persons. —

(1) The committee shall prepare a separate list for persons belonging to Scheduled Caste and Schedule Tribes and other person satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the committee to be suitable as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 per cent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order to seniority in the service on posts, as specified in column (2) or Schedule (V at the time of preparation of such select list:

Provided that any junior employed, who in the opinion of the committee is of exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than list of officer senior of him.

Explanation.— A person, whose name as included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely the fact of his earlier selection.

(4) A list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection review or revision it is proposed to supersede any number of the service, the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. Procedure regarding obtaining approval of the Appointing authority on the select list.— The list prepared in accordance with rule-16, shall then be forwarded by the committed to the Appointing Authority long with :-

(1) The records of all persons included in the list.

(2) The records of all members of the service specified in column (2) of Schedule IV, who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list.

(3) The reasons as recorded by the committee for the proposed supercession or any member of the service as specified in column (2) of schedule IV.

18. Select List.— (1) The appointing Authority shall consider the list prepared by the committee along with other documents received from the committee .and unless he consider any charg necessary approve the list.

(2) If the appointing Authority considers if necessary to make any change in the list received from the committee, he shall inform the committee of the changes proposed and after taking it to account of the comments, if any, of the committee, may approve the list finally with such modification. if any, as may in hi opinion be just and proper.

(3) The list is finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for one year or until it is review of revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation;

Provided that in the event of a grave lapse in conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select

list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it things fit, remove the name of such person from the select list.

19. Appointment in the service from the select list. (1) Appointments of the employees included in the select list on the posts borne on the cadre/of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list :

Provided that where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in orders in the select list, may be appointed to the service if the Appointing Authority is satisfied that the vacancies is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to conduct the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person whose name is included in the select list , in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the selection list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

20. Probation.— Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

21. Interpretation.— If any questions arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.— Nothing in these rules shall be constructed to limit or abridge the power the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as appear to it be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. Saving.— Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions, required to be provided for the schedule Castes and Schedule Tribes

in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

24. Repeal and Saving.— All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the governor of Madhya Pradesh,
ARUN BHATNAGAR, Secy.

"SCHEDULE-I"

(See rule 5)

S. No.	Name of the Post included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aviation Engineering Service				
1.	Senior Mechanic	4	Class II Ministerial	Rs. 1400-40-1440-50-2340-60-2640
2.	Radio Mechanic	1	-do-	-do-
3.	Electrician	1	-do-	-do-
Ministerial Service				
1.	Junior Accounts Officer	1	Class II Executive Post	Rs. 1600-60-2300-60-2720
2.	Head Clerk	1	Ministerial	Rs. 1320-40-1440-50-2040
3.	Upper Division Clerk	3	-do-	Rs. 1150-30-1210-40-1450-50-1800

4.	Store Keeper	1	-do-	Rs. 1200-40-1440-50-2040
5.	Stenographer	1	-do-	Rs. 1400-40-1440-50-2340-60-2640
6.	Lower Division Clerk/ Typist/ Assistant Store Keeper/Flight Clerk	5	-do-	Rs. 950-25-1000-30-1210-40-1530
7.	Steno Typist	3	-do-	Rs. 950-26-100-30-1210-40-1530- Plus Rs. 75/- P.M. Special Pay.

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Name of the Service	Name of the Posts	Total	Percentage of Posts to be filled			Remarks
			By Direct Recruitment	By Promotion of the Members of the Service	By Temporary transfer of the persons from another service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Directorate of Aviation	Aviation Engineering Service.					
	1. Senior Mechanic	4	60%	40%		
	2. Radio Mechanic	1	100%	--		
	3. Electrician	1	100%	--		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Ministerial Service

1. Junior Accounts Officer	1	--	--	100% of an Deputation Directorate Treasury and Accounts
2. Head Clerk	1	--	100%	
3. Upper Division Clerk	3	--	100%	
4. Stenographer	1	100%	--	
5. Store Keeper	1	--	100%	
6. Lower Division Clerk/Typist/ Assistant Store Keeper/Flight Clerk	5	85%	15%	For Departmental Class IV Employees who have passed Higher secondary/ High School (Under 10+2 Education system from Board of Secondary Educa-tion, Madhya Pradesh, or any regonised Board and who have completed five years of regular service..
7. Steno Typist	3	100%	--	--

SCHDULE – III

(See rule 18)

Name of Department	Name of the Posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Directorate of Aviation	Maintenance Cadre 1. Senior Mechanic	21 Years	35 Years	a) Should have passed the High School (Under 10+2 Education System)/Higher Secondary Examination from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other Board recognised by the Government.	
-					
	2. Radio Mechanic	21 Years	35 Years	b) Should possess a certificate of passing the concerned subject of the posts from the recognised Industrial Training Institution .	
	3. Electrician	21 Years	35 Years	c) d) At least 10 years practical experience of working on various types of aeroplanes.	

Ministerial Cadre

1. Head Clerk	21 Years	35 Years	5 years experience on the post of the Upper
---------------	----------	----------	---

			Division Clerk, should have passed the High School (Under 10+2 Educational System)/ Higher Secondary examination or any other examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other institute recognised by the Government.
2. Upper Division Clerk	21 Years	35 Years	5 years experience on the post of the Upper Division Clerk, should have passed the High School (Under 10+2 Educational System)/ Higher Secondary examination or any other examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other institute recognised by the Government.
3. Stenographer	21 Years	30 Years	Should have passed the High School (Under 10+2 Education System) Higher Secondary Examination or any other Examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other institute by the Government and also passed Hindi and English Short-hand from the Board of Short-hand Examination,

Madhya Pradesh or
from any other
recognised Institution.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. Lower Division Clerk/Typist/ Assistant Store Keeper/Flight Clerk	18 Years	30 Years		Should have passed the High School (Under 10+2 Education System) Higher Secondary Examination or any other Examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other institute by the Government and should have passed Hindi Typewriting Examination from Board of Hindi Typewriting and Short-hand Examination or from any other recognised Institution.
	6. Steno Typist	18 Years	30 Years		Should have passed the High School (Under 10+2 Education System) Higher Secondary Examination or any other Examination Equivalent thereto from the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or from any other institute by the Government and should have passed Hindi Typewriting Examination from Board of Hindi Typewriting and Short-hand Examination, or

from any other
recognised Institution
and should have
knowledge of Hindi
Short-hand alongwith a
speed of 60 w.p.m.

SCHEDULE-IV

(See rule 13)

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion to be made	Period of Service in the post shown in column (2)	Name of the Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aviation Department	1. Junior Mechanic	Senior Mechanic	5 Years	1. Chief Engineer – Chairman 2. Deputy Chief Engineer-Member /Radio-Engineer – Member 3. Administrative Officer – Member
	2. Upper Division Clerk	Head Clerk	5 Years	-do-
	3. Lower Division Clerk/Typist/ Assistant Store Keeper/Flight Clerk	Upper Division Clerk	5 Years	-do-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
R.S. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

